राज एक्सप्रेस

उज्जैन एक्सप्रेस

इंदौर | शुक्रवार, 14 अक्टूबर, 2022

एक्सप्रेस न्यूज

पंजाबी महिला विकास समिति द्वारा करवा चतुर्थी का आयोजन

उज्जैन (आरएनएन)। पंजाबी महिला विकास समिति द्वारा होटल आश्रय में समाजसेविका डॉ. सतिन्दर कौर सलूहा के मुख्य आतिथ्य में अध्यक्ष शोभा मेहरा, सचिव डिम्पल कालरा, कामिनी जुनेजा, सीमा छाबड़ा, मंजू कपिल, ज्योति नारंग, रजनी सेठ, हंसा नरूला, स्वाति कालरा, शालिनी नारंग द्वारा नई बहुओं का सम्मान किया। प्रथम आने वाली महिलाओं को पुरस्कार दिया गया। पंजाबी नृत्य हाथ में चलनी लेकर ग्रुप कपल नृत्य किया। सभी महिलाओं को 5-5 दीपक प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में दिए। डिम्पल कालरा ने संचालन करते हुए विधि विधान से पूजन करवाया। मेचिंग ड्रेस, ब्यूटी क्वीन, सुन्दर हैयर स्टाइल के पुरस्कार बम्पर प्राइजेस दिए गए।

भारतीय डाक विभाग द्वारा महाकाल लोक पर विशेष आवरण किया जारी

उज्जैन (आरएनएन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का 11 अक्टूबर को लोकार्पण किया गया। इसी कड़ी में अब भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जनता को एक और सौगात दी। प्रवर अधीक्षक डाकघर मालवा संभाग द्वारा बताया कि महाकाल लोक पर भारतीय डाक विभाग द्वारा एक विशेष आवरण जारी किया गयाए जो (महाकाल लोक) पर आधारित है। विशेष संग्रहणीय यह लिफाफा भारत माता मंदिर परिसर में स्थित सभागृह में कलेक्टर आशीष सिंह एवं पोस्ट मास्टर जनरल इंदौर क्षेत्र इंदौर बृजेश कुमार द्वारा जारी किया गया। इस अवसर पर प्रशासक श्री महाकालेश्वर मंदिर, सहायक प्रशासक तिवारी, डाक विभाग के कर्मचारी, मंदिर के कर्मचारी एवं आमजन उपस्थित थे। यह विशेष आवरण उज्जैन में राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2022 के दौरान जारी किया गया।

चिमनगंज मंडी पुलिस ने छः लोगों को पकड़ा डकेती की योजना बनाते हुए

उज्जैन (आरएनएन)। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि आगर रोड स्थित विनायक ग्रीन कालोनी में कुछ लोग संदिग्ध बैठे हैं तथा पार्टी मना रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं कि रात्रि होने पर पेट्रोल पम्प पर डकेती डालेंगे। थाना प्रभारी नितिन भास्कर ने टीम के साथ वहां पर घेराबंदी कर छः लोगों को पकड़ा, उनके कब्जे से मिर्च पाउडर, चाकू, छूरी, सरिया और अन्य हथियार बरामद किए। उनके नाम सुरज चोटी, रितेश उर्फ मटकी, राजेश, हितेश पिता विजय बैरवा, राकेश उर्फ भोला, रामलाल, फेजल उर्फ सोनू पिता अब्दुल रसीद, नाना उर्फ कपिल पिता किशोर इन लोगों को पकड़ा। पूछताछ पर इन लोगों के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई अपराध पंजीबद्ध हैं।

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में बैठक आज

उज्जैन। जिले के भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों की समस्याओं के निराकरण एवं शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिये शुक्रवार 14 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे विक्रम नगर रोड नई कोर्ट भवन के पास जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में बैठक आहूत की गई है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त कमांडर नगेशचंद्र मालवीय ने समस्त भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों से आग्रह किया है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर बैठक में शामिल हों।

फिर दो छात्र डूबे शिप्रा में

उज्जैन (आरएनएन)। विगत दिनों राजएक्सप्रेस में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था कि रामघाट पर नदी में नहाने वालों के कोई संकेत नहीं लगे हैं जिससे बाहर के आने वाले श्रद्धालु गलती करके उसमें डुब जाते हैं। पूर्व में भी कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बुधवार को इंदौर से अलग-अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले 6 छात्र शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए आए और दत्त अखाड़ा घाट पर नहाने के दौरान पानी में डूबने से दो छात्रों की मृत्यु हो गई जबकि तीसरे को वहां पर स्नान कर रहे लोगों ने बचा लिया। महाकाल थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों का शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आयन पिता प्रवीण चतुर्वेदी उम्र 19 वर्ष निवासी दमोह उमरिया, सविनय पिता रामआश्रय यादव उम्र 21 वर्ष निवासी कटनी अपने दोस्त हिमांशु पाण्डे पिता रामकृष्ण पाण्डे निवासी कटनी, उज्जवल गुप्ता, विनय यादव और रोहन यादव यह 6 लोग एक निजी कार करके इंदौर से उज्जैन देवदर्शन करने के लिए आए थे। सबसे पहले इन लोगों ने शिप्रा नदी नहाने का तय किया और दत्त अखाड़ा घाट पर पहुंचकर नदी में नहाने लगे। आयन, सविनय और हिमांशु गहरे पानी में डूबने लगे, दोस्तों को आवाज लगाई तो आसपास खड़े लोगों ने हिमांशु को तो गहरे पानी से निकाल लिया जब तक आयन और सविनय पानी में डुब चुके थे। आधा घंटा होने के बाद साथियों ने पुलिस चौकी पर जाकर तैराक दल को सूचना दी, वह लोग आए और शव को बाहर निकाला। यदि नदी में लोहे की जंजीर लगा दी जाए तथा वहां पर बोर्ड लगा दिया जाए कि पानी की गहराई अधिक है, इससे आगे न जाएं तथा समय-समय पर अलाउंस भी करते रहना चाहिए।

विधि के क्षेत्र में हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विधि पुस्तकों की प्रदर्शनी सह विक्रय काउंटरों का आयोजन हुआ

उज्जैन (आरएनएन)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आर.के. वाणी द्वारा विधि के क्षेत्र में हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु किए जा रहे प्रयास में सहयोग प्रदान करने बाबत अपील करते हुए हिंदी में लिखित विधि पुस्तकों की प्रदर्शनी-सह-विक्रय काउंटरों के आयोजन के संबंध में जानकारी दी गई कि विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) का विधि साहित्य प्रकाशन विधि के क्षेत्र में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के प्रयोजनार्थ राष्ट्रपति आदेशों तथा संसदीय राजभाषा समिति और विधि मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों में द्विभाषी केंद्रीय अधिनियमों, निर्णय पत्रिकाओं, हिंदी में लिखित श्रेष्ठ विधि पुस्तकों, भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका इत्यादि की प्रदर्शनी और विक्रय काउंटरों का आयोजन 11 एवं 12 अक्टूबर को जिला न्यायालय परिसर में किया गया। यह आयोजन विधि और न्याय मंत्रालय नई दिल्ली के सचिव डॉण्निटेन चंद्र के मार्ग निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविंद कुमार जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी चन्द्रेश मण्डलोई, विधि एवं न्याय मंत्रालय प्रधान सम्पादक कमल कांत, सम्पादक अविनाश शुक्ला, मुद्रण अधिकारी ए.के. गुप्ता, सहायक प्रबंधक सचिन्द्र कुमार, ए.के. खासा, सुनील कुमार, अशोक कुमार, न्यायालयीन स्टाफ, अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलेंटियर्स एवं काफी संख्या में जनसामान्य उपस्थित थे।

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक आयोजित, मंत्री डॉ. मोहन यादव वीसी के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए

श्री महाकाल लोक दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 6 बजे से शयन आरती तक खुला रहेगा

उज्जैन ■ राज न्यूज नेटवर्क

गुरूवार को प्रशासनिक संकुल के सभागृह में श्री महाकाल लोक के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, एडीएम संतोष टैगोर, सीईओ स्मार्ट सिटी आशीष पाठक, प्रशासक महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति संदीप सोनी एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव वीसी के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए।

बैठक में श्री महाकाल लोक के श्रद्धालुओं के लिये खोले जाने के समय पर चर्चा के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्णय लिया गया कि दर्शनार्थियों के लिये श्री महाकाल लोक सुबह 6 बजे से शयन आरती तक खुला रहेगा। श्री महाकाल लोक के खुले रहने के समय के अतिरिक्त इसके संधारण और इससे सम्बन्धित अन्य विषयों पर बैठक में चर्चा की गई। विधायक पारस जैन ने श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिये सभी को अपनी ओर से बधाई दी। उन्होंने कहा कि उज्जैन के लिये यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। कलेक्टर आशीष सिंह ने जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी कि श्री महाकाल लोक के परिसर में विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं। कंट्रोल रूम से सतत निगरानी की जा रही है। यदि किसी शरारती तत्व द्वारा कोई अनुचित गतिविधि की जाती है तो तुरन्त साउण्ड सिस्टम के माध्यम से उन्हें टोका जा रहा है। पूरे क्षेत्र को अलग-अलग सेक्टर में बांटा गया है।

मंत्री डॉ. यादव ने बैठक में कहा कि मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग के द्वारा कोठी महल पर जो लाईट एण्ड साउण्ड शो का आयोजन किया जाता थाए उसका सेटअप कुछ दिनों के लिये फेसिलिटी सेन्टर में लगवाकर लाईट एण्ड साउण्ड शो आयोजित किया जाये।

कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि श्री महाकाल लोक में मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग द्वारा विशेष लाईट एण्ड साउण्ड शो आयोजित करने पर विधिवत प्लान बनाया जा रहा है। श्री महाकाल लोक में आने वाले समय में अत्याधुनिक लाईट एण्ड साउण्ड शो, लेजर शो कम वाटर शो का आयोजन किया जायेगा। उक्त परियोजना लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण की जायेगी। प्रशासक श्री सोनी ने बैठक में कहा कि भगवान श्री महाकालेश्वर की दर्शन के लिये प्रधारने वाले श्रद्धालुओं का प्रवेश द्वार त्रिवेणी संग्रहालय के समीप नन्दी द्वार से महाकाल लोक मानसरोवर हॉल के रास्ते निर्धारित रहेगा। प्रवेश मार्ग पर पुलिस की तैनाती की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिये आने वाले श्रद्धालु प्रवेश के पूर्व अपने समस्त वाहन (दोपहिया, चारपहिया) त्रिवेणी संग्रहालय के संमुख नवनिर्मित सरफेस पार्किंग पर पार्क करेंगे। श्री महाकाल लोक में तंबाकू, गुटखा, पाउच, सिंगल यूज प्लास्टिक ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। श्री महाकाल लोक में आने वाले दर्शनार्थियों की चेकिंग की जायेगी। किसी भी शरारती तत्व द्वारा अनुचित गतिविधि करने पर कार्यवाही की जायेगी। त्रिवेणी संग्रहालय एवं रूद्र सागर के आसपास सभी वाहनों की पार्किंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। उल्लंघन करने पर यातायात पुलिस द्वारा कार्यवाही की जायेगी। श्री महाकाल लोक में स्थापित शिवस्तंभ एवं प्रतिमाओं को छूना, ऊपर खड़े होना, अनुचित स्थान पर खड़े होकर सेल्फी लेना, फूल-पत्तियां तोड़ना, म्युरल वाल स्टेचु पर लिखना अथवा विरूपित करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। श्रद्धालुगण मानसरोवर हॉल में नन्दी द्वार से प्रवेश कर सकेंगे, जहां उनकी सुविधा के लिये जूता स्टेण्ड, क्लॉक रूम, मोबाइल लॉकर, पेयजल आदि की सुविधा उपलब्ध है। किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर श्री महाकाल लोक में प्रवेश करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

श्री महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालु फल, फूल, अन्य सामग्री रूद्र सागर में नहीं फैंक सकेंगे। श्री महाकाल लोक एवं सम्पूर्ण मन्दिर परिसर में मोबाइल के माध्यम से फिल्मी गाने बजाना एवं अन्य असामाजिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

पुलिस अधीक्षक ने कहा

पुलिस अधीक्षक सत्येन्द्र कुमार शुक्ल ने बैठक में कहा कि वर्तमान में हरिफाटक ब्रिज से त्रिवेणी संग्रहालय की तरफजाने वाले मार्ग में लोग अपने वाहन सड़क के किनारे खड़े कर श्री महाकाल लोक के मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं। इससे आवागमन का मार्ग अवरूद्ध हो रहा है। साथ ही किसी दुर्घटना की भी आशंका है। इसलिये इसे तत्काल रोकने की आवश्यकता है। इस पर बैठक में निर्णय लिया गया कि इसे तुरन्त बन्द किया जाये।

त्रिवेणी से चारधाम वाले सिरे को पूरी तरह से बन्द किया जाये, चूंकि वहां पर निर्माण कार्य किया जाना है। पार्किंग में पुलिस की ओर से फोर्स लगाई जाये। साथ ही इंट्री गेट पर भी पुलिस लगाई जाये।

ठेला गुमटी धारकों को देना चाहते हैं पक्की दुकान : महापौर

उज्जैन (आरएनएन)। नगर पालिक महापौर पंचायत के माध्यम से गुमटी ठेला धारको को पक्की दुकाने देना चाहते है जिससे की वे अपना व्यवसाय ठीक से कर सके। यह बात गुरूवार को महापौर मुकेश टटवाल ने महापौर पंचायत आयोजन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही आपने बैठक में उपस्थित सहायक राजस्व निरीक्षक से पथ विक्रेताओं की संख्या की जानकारी ली एवं कहा कि हम ठेला, गुमटी धारकों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से ऋण भी उपलब्ध करावायेंगे इसके लिए पहली आदर्श महापौर पंचायत में बैंकों के स्टॉल भी लगवाये जायेगे।

सहायक राजस्व निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में सम्बल योजना, कर्मकार मण्डल की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें। महापौर श्री टटवाल ने निर्देशित किया कि नये हॉकर्स झोन बनाने हेतु स्थल का चयन किया जाएए थेला व्यापारियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए मेडीक्लेम से जोडा जाए। समिति संयोजक एवं राजस्व विभाग प्रभारी डॉ. योगेश्वरी राठौर ने बताया कि महापौर पंचायत के आयोजन हेतु ठेला, गुमटी एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा कर ली गई है उन्हे आयोजन समिति के माध्यम से आमंत्रण दिया जायेगा।

निगमायुक्त ने किया विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण

उज्जैन (आरएनएन)। नगर निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह द्वारा गुरुवार को प्रातः शहर की सफाई व्यवस्था अंतर्गत गोपाल मंदिर, कमरी मार्ग, केडी गेट, निकास चौराहा, अंकपात मार्ग, पिपलीनाका, पुरुषोत्तम सागर, इंदिरा नगर इत्यादि क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का अवलोकन करते हुए सफाई से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए।

वार्ड क्र. 7 दुर्गा कॉलोनी पर खुले स्थान पर हो रहे कचरे के डेर जीवीपी पाईट को पूर्णतः समाप्त करने के निर्देश आयुक्त द्वारा दिए गए। पुरुषोत्तम सागर पर निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी को घाट की सफाई व्यवस्था किए जाने एवं संपूर्ण पैदल मार्ग पर घास कि छटाई किए जाने के निर्देश दिये जिससे पैदल भ्रमण करने वाले नागरिकों को समस्या ना होने पाए। निरीक्षण के दौरान देखने में आया कि कुछ मार्गों पर भवन निर्माण करने वाले भवन स्वामियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री को रोड़ तक फैला रखा था जिससे आवागमन अवरुद्ध हो रहा था और सफाई नहीं हो पा रही थी जिसे हटाए

जाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त आदित्य नागर, झोनल अधिकारी एवं पीआरओ सुनील जैन, स्वास्थ्य अधिकारी मोहित मिश्रा, मुकुल मेश्राम, स्वास्थ्य निरीक्षक गय्यूर अहमद उपस्थित थे।

ग्राण्ड होटल एसबीएम कार्यालय का अवलोकन

नगर निगम आयुक्त द्वारा निरीक्षण के पश्चात् ग्राण्ड होटल एसबीएम कार्यालय का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त श्री नागर द्वारा बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान अंतर्गत समीक्षा बैठक एवं डॉक्यूमेंटेशन का कार्य यहीं से किया जाता है, यहां पर स्व%छता से संबंधित जानकारी देती हुई चित्रकारी की गई है एवं स्वच्छता के स्लोगन लिखे गए हैं। निगमायुक्त द्वारा ग्राण्ड होटल के कमरों का भी अवलोकन किया गया एवं संबंधित अधिकारी को ग्राउंड की सफाई करवाई जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

जिला सलाहकार समिति की बैठक 19 अक्टूबर को

उज्जैन (आरएनएन)। पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट के अन्तर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक 19 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सभाकक्ष में आयोजित की जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने समिति के सदस्यों से आग्रह किया है कि वे उक्त तिथि में निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित रहें।

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

उज्जैन (आरएनएन)। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के सौजन्य से मध्य प्रदेश ईसीबीसी (ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता) एवं इको निवास संहिता विषय पर आधारित दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन ग्राण्ड होटल में किया गया। कार्यशाला में नगर निगम के अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक को प्रशिक्षक जितेंद्र कुमार व्यास द्वारा प्रशिक्षण दिया जाकर बताया कि सरकार की गाइड लाइन के अनुसार अब से जो भी नई बिल्डिंग, बड़े भवन (100 किलोवाट से ऊपर) बनाए जाएंगे वह सभी ईसीबीसी (ऊर्जा संरक्षण संहिता) एवं इको निवास संहिता पर ही बनाए जाएंगे, प्रशिक्षण में अधीक्षण यंत्री जे.के. कठिल, कार्यपालन यंत्री एल.डी. दौराया, भवन अधिकारी एवं भवन निरीक्षक के साथ ही प्रशिक्षक वर्ग से सूरज कुमार एवं पुरुनेंदु पटेल उपस्थित थे।

ठाकुर उमराव सिंह सिसोदिया का निधन

कायथा (आरएनएन)। ग्राम रामपुरा निवासी शिक्षक मोकम सिंह एवं पूर्व कृषि उपज मंडी अध्यक्ष तराना सौदान सिंह सिसोदिया के पिता ठाकुर उमराव सिंह सिसोदिया का गुरुवार को लगभग 90, वर्ष की उम्र मे निधन हो गया उनकी अंतिम यात्रा मे उज्जैन ग्रामीण जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, प्रांत सह कार्यवाह रघुवीर सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायक एवं मालवा प्रांत धर्म जागरण प्रमुख रोड़मल राठौर, तराना ग्रामीण मंडल अध्यक्ष डॉ. जितेन्द्र राठौर, मंडल महामंत्री कमल जोशी, भाजपा के पूर्व विधायक प्रतिनिधि पप्पू अकेला, कायथा सरपंच प्रतिनिधि जितेन्द्र सिंह सिसोदिया, आईटी सेल मीडिया प्रभारी लक्ष्मण सिंह चावड़ा आदि यात्रा में शामिल हुए।

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति बड़नगर जिला उज्जैन

क्रमांक/मंडी/निर्माण/निविदा/2022-23/959

बड़नगर दिनांक 06.10.2022

:: निविदा आमंत्रण सूचना ::

प्रमुख अभियंता, म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त (एकीकृत पंजीयन प्रणाली) पंजीकृत निविदाकारों से प्रतिशत दर आधार पर सिस्टम निविदा क्रमांक 2022_MPSAM_225469_1, 2022_MPSAM_225471_1, 2022 MPSAM_225472_1 एवं 2022 MPSAM_225474_1 के अंतर्गत ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 02.11.2022 को शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल https://mptenders.gov.in/nicgep/app पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट :- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
बड़नगर, जिला उज्जैन

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति
बड़नगर, जिला उज्जैन

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

सीआईएन : यू67100टीजेड2014पीटीसी020363

वाणिज्यिक कार्यालय : सी/515, कनकिया जिस्पेन्स, एलबीएस रोड एवं सीएसटी रोड का जंक्शन, बीकेसी एनेक्स, इण्डियनॉक्स के पास, कलीना, कुर्ला (पश्चिम) मुम्बई-400070.

ईमेल-shreyansh.chandaliya@omkaraarc.com/rajesh.jumani@omkaraarc.com, दूरभाष-022-26544000

प्राधिकृत अधिकारी मो. नं. :+91 86579 69231/+91 86579 69233

(परिशिष्ट IV-ए) नियम [नियम 8 (6) सपठित 9(1) का परंतुक देखें]

अचल संपत्ति की ई-नीलामी विक्रय के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) सपठित 9(1) के परंतुक के साथ पठित।

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी और गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका कब्जा इंडसइंड बैंक लिमिटेड (आईबीएल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। इसके अलावा ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन पिट लिमिटेड (ओएआरपीएल) (ओमकारा पीएस 30/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए) ने इंडसइंड बैंक लिमिटेड (असाइनर बैंक) से दिनांक 30.09.2021 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के तहत अंतर्निहित सुरक्षा होम असाइनर बैंक के साथ नीचे दिए गए खातों के सभी बकाया ऋण प्राप्त कर लिए हैं। तदनुसार, ओएआरपीएल ने असाइनर बैंक का अधिकार प्राप्त किया है और बकाया वसूलने और सुरक्षा को लागू करने का अधिकार दिया है ओएआरपीएल के अधिकृत अधिकारी ने असाइनर से नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है ओएआरपीएल के अधिकृत अधिकारी एतद्वारा बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियां बेचने के इच्छुक हैं और इसलिए सुरक्षित संपत्तियों की खरीद के लिए निविदाएं / बोलियां सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैं। संपत्तियों को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) और (4) के प्रावधानों के तहत अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ताओं के विवरण के नीचे दिखाए गए संबंधित उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता (ओं) से सुरक्षित लेनदार के रूप में ओएआरपीएल के संबंधित कॉलम में नीचे दिखाई गई राशि की वसूली के लिए "जैसा है जहां है", "जैसा है, वैसा है" और "जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जाएगा। ऋणकर्ताओं/गारंटर/बंधक, प्रतिभूतियां, मालिक, बकाया देय, तिथि धारा 13(2), कब्जे की तिथि, आरक्षित मूल्य, बोली वृद्धि राशि, बयाना राशि जमा (ईएमडी), निरीक्षण की तिथि और समय के तहत भेजी गई मांग सूचना निम्नानुसार दी गई है।

स. क्र.	ऋणकर्ता(गण) /अधिग्रहण प्रतिभूतिकर्ता(गण)/गिरवीकर्ता का नाम	सुरक्षित संपत्ति का विवरण	18.11.2019 को शेष राशि	मॉंग सूचना तिथि / अधिग्रहण तिथि	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) / बोली वृद्धि राशि / धरोहर राशि	निरीक्षण की तिथि व समय
1.	मे.विनय इंडस्ट्रीज (उधारकर्ता), श्री सुमित खंडेलवाल (गारंटर), श्रीमती रचना खंडेलवाल (गारंटर), श्री मनोहरलाल खंडेलवाल (बंधककर्ता/गारंटर)	प्लॉट नंबर 40 पर मकान, महेश नगर, अंकपाठ मार्ग, उज्जैन, मध्य प्रदेश और इस प्रकार से घिरा-पूर्व की ओर -प्लॉट नंबर 39, पश्चिम की ओर-प्लॉट नं. 41, उत्तर की ओर-प्लॉट नं. 48, दक्षिण की ओर-रोड संपत्ति के स्वामी श्री मनोहरलाल खंडेलवाल	रु. 1,21,33,670.04 (रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख तैंतीस हजार छह सौ सत्तर और पैसे चार मात्र)	19.11.2019 / 19.03.2021	रु. 60.75 / रु. 50,000/- / रु. 6,07,500/	18.10.2022 (दोपहर 02:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक)

खाता संख्या : 055505010221, लाभार्थी का नाम : ओमकारा पीएस 30/2021-22 ट्रस्ट, बैंक का नाम : आईसीआईसीआई बैंक, शाखा : वांद्रा (ई), मुंबई, आईएफएससी कोड: ICIC0000555

ई-नीलामी की तिथि और समय	03.11.2022 पूर्वाह्न 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक (दोपहर)
भागीदारी का बोली पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण जमा करने की अंतिम तिथियां और समय	02.11.2022 अपराह्न 05:00 बजे तक

नीलामी के नियम और शर्तें : बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार (ओएआरपीएल) की वेबसाइट http://omkaraarc.com/auction.php या सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी https://www.bankeauctions.comमें दिए गए लिंक को देखें।

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित 9(1) के तहत विक्रय के लिए वैधानिक नोटिस

यह नोटिस सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) सपठित 9(1) के तहत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता (ओं) को कम से कम 15 (पंद्रह) दिनों का अनिवार्य नोटिस भी है और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान, उन्हें उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि और समय पर ई-नीलामी के माध्यम से नीलामी / बिक्री के आयोजन के बारे में सूचित करते हुए, यदि वे चाहें तो संपत्ति को भुनाने के लिये बिक्री के बंद होने से पहले किसी भी समय 19.11.2019 से आगे के ब्याज और सभी लागत शुल्क और खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। भुगतान में चूक के मामले में, संपत्ति अधिकृत अधिकारी सुरक्षित लेनदार के विवेक पर सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से विक्रय की जाएगी।

स्थानः मुंबई
दिनांकः 14-10-2022

हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी) ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के लिये
(पीएस30/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पर अपनी क्षमतानुसार कार्यरत)